न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या –03/2015 (आव0व0अधि0)

सरकार जर्ये श्री इरफान कुरेशी प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स श्री गैस सर्विस (आई.ओ.सी.) गैस डिस्ट्रीब्यूटर पुलिस लाइन, कोटा ।
2. श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री हरीश शर्मा जाति ब्रह्मण निवासी मकान नं0 94 गोपाल विहार ।।, कोटा ।
3. श्रीमति जयश्री शर्मा पुत्री श्री राधेश्याम शर्मा, प्रोपराईटर मैसर्स श्री गैस सर्विस (आई.ओ.सी.) गैस डिस्ट्रीब्यूटर, पुलिस लाइन, कोटा ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 04.03.2020

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्री इरफान कुरेशी, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि दिनाक 14.11.2011 को खाद्य विभाग, राजस्थान जयपुर के सतर्कता दल प्रथम द्वारा मैसर्स श्री गैस सर्विस (आई ओ सी) गैस डिस्ट्रीब्यूटर पुलिस लाईन, कोटा का निरीक्षण किया । निरीक्षण के समय श्री उमेश शर्मा पुत्र हरीश शर्मा जाति ब्रह्मण निवासी मकान नं0 94 गोपाल विहार ।।, कोटा मैनेजर उक्त फर्म मौजूद मिले जिन्होंने निरीक्षण करवाया । उक्त फर्म प्रोपराइटर फर्म है जिसकी प्रोपराईटर श्रीमति जयश्री शर्मा पुत्री राधेश्याम शर्मा है । फर्म के गोदाम देवली अरब में रखे भरे हुये सिलेण्डर्स जो उपभोक्ताओं को सप्लाई हेतु दिये जाने है का गोदाम में उपलब्ध इलेक्ट्रोनिक कांटे से तौल कराया जाने पर निम्नानुसार 11 घरेलू गैस सिलेण्डर्स 14.2 कि0ग्रा0 एल पी जी क्षमता के जो अनसील्ड रखे पाये गये है में 300 ग्राम से अधिक कम एल पी जी की मात्रा निर्धारित 14.2 कि0ग्रा0 क्षमता के घरेलू गैस सिलेण्डर में पायी गई है । इसके अतिरिक्त 39 सिलेण्डर्स में 300 ग्राम से कम एलपीजी पाये जाने पर उन्हें सप्लाई से रोका जाकर वापस कम्पनी में भेजने हेतु श्री उमेश शर्मा को पाबन्द किया जाकर उक्त 11 सिलेण्डर्स को जप्तराज किया गया । जप्त किये गये सिलेण्डर्स का विवरण निम्नानुसार है–

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	तेल कम्पनी का नाम	गैस सिलेण्डर्स के एस.आर.नं.	सिलेण्डर पर एल पी जी का उतदर्षित मानक भार/ क्षमता किा में	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)	विषिष्ट अन्तर किलोग्राम में ।
1	IOC	314206	14.2	15.9	29.725	13.825	-.375
2	IOC	633223	14.2	15.7	29.265	13.565	-.635
3	IOC	90628	14.2	15.9	20.640	13.740	-.460
4	IOC	813687	14.2	15.7	28.435	12.735	-1.465
5	IOC	386091	14.2	15.5	29.185	13.685	-.515
6	IOC	50564	14.2	16.4	30.280	13.880	-.320
7	IOC	92575	14.2	15.8	29.675	13.875	-.325
8	IOC	222303	14.2	15.7	29.575	13.875	-.325
9	IOC	825753	14.2	16.8	30.585	13.785	-.415
10	IOC	351355	14.2	15.6	29.010	13.410	-.790
11	IOC	285539	14.2	15.5	28.335	12.835	-1.365

2. इस प्रकार उक्त मैसर्स श्री गैस सर्विस (आई.ओ.सी.) गैस डिस्ट्रीब्यूटर पुलिस लाइन, कोटा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित गैस सिलेण्डर्स को निर्धारित मात्रा में उपभोक्ता को नहीं देकर कम वनज का घरेलू गैस सिलेण्डर की सप्लाई दिये जाने का कृत्य कर द्रवित पैट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 5 का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 11 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर्स को राजसात करने के आदेश प्रदान फरमावें ।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि सिलेण्डर डिलेवरी से पूर्व जांच हेतु गोदाम में ही रखे हुए थे तथा किसी ग्राम को डिलेवरी हेतु नहीं निकाले गये । गोदाम में भरे खाली डिफेक्टिव आदि सभी प्रकार के सिलेण्डर रखे रहते है । ग्राहक की सन्तुष्टि के लिये सिलेण्डर के लीकेज की जांच के लिये सील खोलना आवश्यकता होता है । तत्पश्चात ही डिलेवरी की जाती है तथा टूटी हुई सील के सिलेण्डर को ही गोदाम में ही रखा जाता है क्योंकि सील टूटने मात्र से ही उनकी डिफेक्टिव स्टॉक में वापस करने पर कम्पनी को वापस भेजने पडते है । ऐसे सिलेण्डरों की संख्या काफी होती है । ऐसे सिलेण्डर को पूरी तरह चैक कर छूट प्राप्त ग्राहक जैसे नन्दी फाउडेशन बाल विद्यालय आदि जो पाइप लाइन के माध्यम से सिलेण्डर काम में लेते है को उपलब्ध करवाये जाते है । अप्रार्थीगणों द्वारा जॉच दल द्वारा 43 सिलेण्डर 14.2 किलो के स्टॉक में कम होना दर्शाया गया है जो निरीक्षण पर्चे में बिन्दू सं0 16 कमांक 7 पर 668 भरे सिलेण्डर की जावक दिखाई गई है वह हमारे रेकार्ड के अनुसार ही 14.11.11 की सप्लाई व डिलेवरी बाउचर की गणनानुसार 705 है । इस प्रकार 37 सिलेण्डर की डिलेवरी कम पकडी गई है । दिनांक 14.11.11 को हमारे रेकार्ड के अनुसार 5 सिलेण्डर ही डिलेवरी बाउचर पर दिये गये थे, इस प्रकार कुल 42 सिलेण्डर की डिलेवरी कम दर्शायी गई है । जांच दल द्वारा 7 सिलेण्डर खाली 14.2 किलो के गोदाम स्टॉक में कम दर्शाये गये है, 19 किलो के सिलेण्डर को शादी समारोह में व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपलब्ध करवाया जाता है जिस पर किसी तरह का

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

नियंत्रण नहीं है कोई भी ग्राहक कितने भी सिलेण्डर कितनीनी बार ले सकता है । दर्शाये गये 96 खाली 19 किलो सिलेण्डर में से 55 रेल्वे वर्कशोप में व बाकी शादी समारोह में दिये गये थे, इलेक्ट्रोनिक कांटे से ही सिलेण्डर का तौल किया, जिससे वजन में भिन्नता आना स्वाभाविक था, क्योंकि उक्त कांटा ठीक से काम नहीं कर रहा था, यदि वो सत्यापित कांटे से तौलते तो किसी भी सिलेण्डर में भिन्नता नहीं आती । उक्त 11 सिलेण्डर में 2 सिलेण्डर बंगलीक अर्थात मैन्यूफेक्चरिंग डिफेक्ट के कारण लीकेज होना है, जो कम्पनी को भेजे जायेंगे । इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया । समस्त सिलेण्डर जांच दल द्वारा गोदाम में चैक किये थे न कि वितरण वाहन में न वितरण के समय न ही किसी ग्राहक को वितरित किये गये सिलेण्डर को तौला गया । गोदाम में तो सभी प्रकार के सिलेण्डर रखे जाते है तथा डिफेक्टिव / लीकेज सिलेण्डर जब एक मात्रा में इकट्टे हो जाते है तो उन्हें वापिस कम्पनी में भिजवा दिया जाता है । अतः प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रोप करने का आदेश फरमावें ।

4. जवाब प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 11.9.2013 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सीज्ड माल 11 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को राजसात (Confiscate) किया गया था ।
5. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम 4, कोटा में अपील सं0 67/2014 पेश की गई, माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.5.2015 से प्रकरण इस न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया कि–" **अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 23.6.2014 को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के संबंध में उभयपक्ष को सुनकर तथा उन पर विचार करते हुए बाद सुनवाई नवीन सिरे से आदेश पारित करें । उभयपक्ष योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.6.2015 को उपस्थित हो ।**"
6. प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड से प्राप्त होने पर दिनांक 26.6.2015 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया, पेरोकार सरकार व वकील अप्रार्थीगण उपस्थित हुए, किन्तु वकील अप्रार्थी द्वारा न तो कोई दस्तावेज पेश किया ओर ना ही बहस की तथा गत पेशीयों से अनुपस्थित चल रहे है । अप्रार्थी को दिनांक 26.6.2015 से दस्तावेज पेश करने व बहस हेतु काफी समय दिया जा चुका है किन्तु प्रकरण रिमाण्ड से इस न्यायालय को प्राप्त होने के बाद कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सीज्ड माल राजसात किये जाने योग्य पाते है ।
7. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत सीज्ड माल 11 (ग्यारह) घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscation) किये जाने के आदेश दिये जाते है । जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।
8. निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner